समाहरणालय, मुंगेर।
(जिला माल एवं सेस शाखा, मुंगेर।)
आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मुंगेर जिलान्तर्गत अप्रैल श्रेणी सैरातों (श्रावणी मेला) की बन्दोबस्ती वर्ष 2013 – 14 के लिए खुली डाक द्वारा करने हेतु दिनांक 17.07.2013 पूर्वाहन 11:00 बजे समाहरणालय सभाकक्ष में अधोहस्ताक्षरी या अपर समाहर्त्ता द्वारा की जायेगी। निर्धारित तिथि को डाक नहीं होने पर अनुवर्त्ती तिथि दिनांक 18.07.2013 एवं 22.07.2013 को की जायगी।

क्र0	सैरात का नाम	सुरक्षित जमा राशि
1	2	3
1	मनियां श्रावणी मेला	26450.00
2	लौढ़िया एवं अन्य श्रावणी मेला	98901.00
3	कुमरसार श्रावणी मेला	319125.00
4	तेघड़ा जागीरदारी से धर्मराय तक	82369.00

डाक में भाग लेने वाले व्यक्तियों को निम्नांकित शर्त्तो का पालन करना होगा :–

1. डाक में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति को डाक में भाग लेने के पूर्व सुरक्षित जमा राशि का 10 प्रतिशत जमानत की राशि के रूप में जमा करना होगा। डाक में वैसे व्यक्ति भाग ले सकते हैं जो पूर्व के बकायेदार नहीं हो। डाक के समय संबंधित अंचल अधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी से प्राप्त बकाया रहित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही डाक में भाग लेने हेतु सक्षम हो सकते हैं। सर्वोच्च डाक वक्ता को छोड़कर अन्य डाकवक्ता को डाक की जमानत की राशि वापस कर दी जायेगी। सर्वोच्च डाकवक्ता की जमानत की राशि का समायोजन डाक की राशि में किया जायेगा।
2. डाक में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति को सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा।
3. डाक की समाप्ति पर उच्चतम डाकवक्ता को डाक की सम्पूर्ण राशि एक मुश्त जमा करना होगा। यदि ऐसे डाकवक्ता बन्दोबस्ती लेने से इनकार करेगें तो उसके द्वारा जमा की गई जमानत की राशि को जब्त कर ली जायेगी और द्वितीय डाकवक्ता के बोली की राशि को संतोषजनक पाये जाने पर उनके साथ उपरोक्त शर्तो के अधीन बन्दोबस्ती पर विचार किया जायेगा।
4. बिना कारण बताये डाक को स्थगित/रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
5. डाक समाप्ति के पश्चात् उच्चत्तम डाकवक्ता को नियमानुसार एकरारनामा करना होगा तथा उसका निबंधन भी कराना होगा, अन्यथा परवाना निर्गत नहीं किया जाएगा।
6. अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि वह प्राथमिकता पर ग्राम पंचायत अथवा बहुधंधी सहयोग समिति के साथ सुरक्षित जमा राशि पर बन्दोबस्ती कर सकेंगे।

7. आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर द्वारा सुरक्षित जमा राशि में वृद्धि करने पर बढ़ी हुई राशि की वसूली की जायेगी।

8. विशेष जानकारी के लिए जिला माल सेस शाखा, मुंगेर से कार्यालय अवधि में सम्पर्क कर प्राप्त किया जा सकता है।

समाहर्ता,
मुंगेर।

ज्ञापांक 3692/ मा0से0, दिनांक 11.7.2013

प्रतिलिपि :– निदेशक सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को आम सूचना की छः प्रति सि0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि निर्गत आम सूचना को दो दैनिक हिन्दी समाचार पत्रों में दो दिनों के अन्दर प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।

समाहर्ता,
मुंगेर।

ज्ञापांक 3692/ मा0से0, दिनांक 11.7.2013

प्रतिलिपि :– जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, मुंगेर/अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मुंगेर/खड़गपुर एवं तारापुर/सभी अंचल अधिकारी, मुंगेर जिला/जिला नजारत पदाधिकारी, मुंगेर/ जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0 आइ0 सी0, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि उक्त आम सूचना का व्यापक प्रचार–प्रसार करना सुनिश्चित करेगें।

समाहर्ता,
मुंगेर।

ज्ञापांक 3692/ मा0से0, दिनांक 11.7.2013

प्रतिलिपि :– आयुक्त के सचिव, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।

समाहर्ता,
मुंगेर।